**न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर**

**अपील/डिक्री/टी ए/5845/2003/चित्तौडगढ**

उंकार पुत्र रूपा जाट निवासी ग्राम निम्बाहेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ

अपीलार्थी

**बनाम**

1.राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर चित्तौडगढ

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कपासन जिला चित्तौडगढ

प्रत्यर्थी

**खण्ड पीठ**

**श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी सदस्य**
**श्री सतीश चन्द्र गोदारा सदस्य**

**उपस्थित**
श्री दुर्गेश्वर शर्मा ब्रीफ होल्डर अभिभाषक अपीलार्थी
श्रीमती पूनम माथुर अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक

**निर्णय**

**दिनांकः 18.03.2021**

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 29–10–2003 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी ने उपखण्ड अधिकारी कपासन के न्यायालय में अधिनियम की धारा 89,188 के तहत एक वाद प्रत्यर्थी प्रतिवादी के विरूद्ध वादपत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया। प्रतिवादी पक्ष की ओर से जबाब दावा पेश होने के बाद दावा एवं जबाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 25–2–2003 से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी

चित्तौडगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 29–10–2003 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलार्थी के पूर्वज यानि उसके दादा श्री देवाजी की खातेदारी की भूमि थी एवं सम्बत 2012 में भी वादी के पिता जीतू के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। इस कारण अपीलार्थी एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में खसरा नम्बर 1798,1799 एवं 1807 के साबिक खसरा नम्बर 4211बताया है जो कतई गलत है। इन तीनों खसरा नम्बरों का साबिक नम्बर1417 था जो मिलान क्षेत्रफल से साबित है। भू प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी आधार के सिवाय चक दर्ज कर दी। भू प्रबन्ध विभाग को केवल पुराने इन्द्राजात को ही दोहराने का अधिकार है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाकर अपीलार्थी वादी का वाद डिक्री किया जावे।

5. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष बताते हुये अपील खारिज करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी वादग्रस्त आराजी पर एक अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पर्चा खतौनी

मेवाड राज्य प्रदर्श –3 में खसरा नम्बर 67, 70, 447, 855, 861, 865, 649, 887, 888, 889, 890, 891,893 में देवजी वल्द मोटा जाट के नाम दर्ज बताई गई है जिसे अपीलार्थी वादी ने अपना दादा होना कथन किया है। खसरा महकमा बन्दोबस्त मेवाड में खसरा नम्बर 887,888,889,890,891,893 में देव जी का नाम कालम संख्या 14 में अंकित है। उक्त भूमि के नवीन खसरा नम्बर क्या बने इसका मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रदर्श–8 नकल खसरा किश्तवार में खसरा नम्बर 1421 रकबा 19 बीघा 5विस्वा पर रूपा जीतू पिता देवा का कब्जा दर्शाया गया है एवं विशेष कालम में आराजी खसरा नम्बर 865,866,887,889,890,893 का उल्लेख है। अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजी के वर्तमान खसरा नम्बर 1789,1799,1807 रकबा 1–03 हेक्टर बनना बताते हुये उक्त आराजी पर अपना कब्जा होना बताया है जो मिलान खसरा नम्बर 1417 मिन से बनना पाया जाता है। इसके अलावा अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष अतिक्रमण के नोटिसों की प्रतियां पेश की हैं जो बिला नाम होकर अपीलार्थी के खाते की भूमि से अलग भूमि है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी वादी अपना वाद सिद्ध करने में असफल रहने से विचारण न्यायालय ने वाद को सही रूप से खारिज किया है और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उसकी सही रूप से पुष्टि की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

8. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य